



नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

वर्ष : 01
अंक : 200
दि. 24.04.2026,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

हॉट सीटों पर हाई वोल्टेज मुकाबला: दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर, रिकॉर्ड वोटिंग ने बढ़ाई धड़कनें

देश की दो बड़ी राजनीतिक धरतियों West Bengal और Tamil Nadu में इस बार का चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन या पुनरायुक्ति को लड़ाई नहीं, बल्कि दिग्गज नेताओं की साख, राजनीतिक भविष्य और जनसमर्थन की असली परीक्षा बन गया है। पहले चरण में बंगाल की 152 सीटों और तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर मतदान संपन्न होने के बाद अब सबसे ज्यादा चर्चा उन "हॉट सीटों" की हो रही है, जहां मुकाबला बेहद कड़ा है और जिन पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। रिकॉर्ड स्तर की वोटिंग ने इन सीटों के परिणामों को और भी रोमांचक बना दिया है, क्योंकि भारी मतदान को अक्सर बड़े बदलाव या मजबूत समर्थन के संकेत के रूप में देखा जाता है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चर्चा

Suvendu Adhikari की है, जो भाजपा के प्रमुख चेहरे और नेता प्रतिपक्ष हैं। नंदीग्राम से उनकी 2021 की ऐतिहासिक जीत के बाद इस बार वे नंदीग्राम के साथ भवानीपुर से भी चुनाव लड़ रहे हैं। नंदीग्राम सीट पर 90 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ है, जो यह दर्शाता है कि यहां का मुकाबला बेहद गंभीर है। उनके सामने टीएमसी के पवित्रा कर हैं, जो कभी उनके करीबी रहे हैं, ऐसे में यह मुकाबला केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि व्यक्तिगत समीकरणों से भी जुड़ा हुआ माना जा रहा है। मुर्शिदाबाद की बहरामपुर सीट पर Adhir Ranjan Chowdhury का चुनावी मैदान में उतरना इस सीट को खास बना देता है। पांच बार के सांसद रहे अधीर रंजन चौधरी लोकसभा चुनाव हारने के



बाद अब विधानसभा में अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं। यहां करीब 89.60 प्रतिशत मतदान हुआ है, जो यह संकेत देता है कि जनता इस मुकाबले को गंभीरता से

ले रही है। इसी तरह भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष Dilip Ghosh खड़गपुर सदर सीट से वापसी की कोशिश कर रहे हैं, जहां उनका मुकाबला टीएमसी के प्रदीप सरकार से है। इस सीट पर भी 86 प्रतिशत से अधिक वोटिंग हुई है। वहीं जंगीपुर सीट से टीएमसी के चर्चित नेता Jakir Hossain, जमीन तलाश रहे हैं। यहां करीब 89.60 प्रतिशत मतदान हुआ है, जो यह संकेत देता है कि जनता इस मुकाबले को गंभीरता से

किया गया है। पूर्व क्रिकेटर Ashok Dinda का मोयना सीट से चुनाव लड़ना भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। राजनीति में उनका यह नया कदम मतदाताओं के लिए दिलचस्प बना हुआ है। वहीं Nisith Pramanik और Krishna Kalyani जैसी सीटों पर भी 90 प्रतिशत से अधिक मतदान ने संकेत दिया है कि उत्तर बंगाल में भी मुकाबला बेहद कड़ा है। तमिलनाडु में भी स्थिति कम रोचक नहीं है। यहां सबसे बड़ी नजर मुख्यमंत्री M. K. Stalin की कोलाशुर सीट पर है, जहां 83.58 प्रतिशत मतदान हुआ है। यह सीट उनके राजनीतिक कद का प्रतीक मानी जाती है और यहां का परिणाम पूरे राज्य की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा

सकता है। वहीं विपक्ष के प्रमुख नेता Edappadi K. Palaniswami एदापदी सीट से मैदान में हैं, जहां 89 प्रतिशत से अधिक वोटिंग हुई है। यह मुकाबला सीधे तौर पर सत्ता और विपक्ष के बीच ताकत की तुलना के रूप में देखा जा रहा है। तमिलनाडु के चुनाव में इस बार सबसे ज्यादा चर्चा फिल्म अभिनेता Vijay की है, जो अपनी पार्टी तमिलगना वेडी कडगम के साथ पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। पेरम्बूर सीट से उनका चुनाव लड़ना इस सीट को हाई-प्रोफाइल बना देता है, जहां 83 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ है। इसी कड़ी में Udhayanidhi Stalin, जो मुख्यमंत्री के बेटे और द्रमुक के प्रमुख चेहरों में से एक हैं, चेन्नई-तिरुवल्लिकेनी

सीट से मैदान में हैं। यहां भी 81 प्रतिशत से अधिक वोटिंग दर्ज की गई है। भाजपा की Tamilisai Soundararajan, पूर्व मुख्यमंत्री O. Panneerselvam और केंद्रीय मंत्री L. Murugan जैसी हस्तियों की सीटों पर भी भारी मतदान ने चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है। कोयंबटूर क्षेत्र में भी मुकाबला काफी चर्चित है, जहां Vanathi Srinivasan और V. Senthil Balaji जैसे बड़े नाम आमने-सामने हैं। इन सीटों पर 70 से 80 प्रतिशत के बीच मतदान हुआ है, जो यह दर्शाता है कि शहरी क्षेत्रों में भी मतदाताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है। इन सभी हॉट सीटों पर एक बात समान है—उच्च मतदान प्रतिशत। यह न केवल राजनीतिक दलों के लिए चुनौती है, बल्कि

यह भी संकेत है कि जनता इस बार अपने मतदाधिकार को लेकर बेहद जागरूक है। भारी वोटिंग का मतलब अक्सर यह होता है कि मतदाता बदलाव चाहते हैं या फिर मौजूदा सरकार के प्रति मजबूत समर्थन व्यक्त कर रहे हैं। अब जब मतदान समाप्त हो चुका है, तो इन सभी सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। आने वाले नतीजे यह तय करेंगे कि कौन नेता अपनी साख बचाने में सफल होता है और किसे जनता का समर्थन नहीं मिल पाता। फिलहाल, पूरे देश की नजरें इन हॉट सीटों के परिणामों पर टिकी हैं, जो न केवल राज्यों की राजनीति को दिशा देंगे, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीतिक संदेश देने का काम करेंगे।

मेघालय में सियासी बिसात पर बड़ा खेल: मुकुल संगमा पर भाजपा की नजर, बदल सकते हैं सत्ता के समीकरण

पूर्वोत्तर की राजनीति एक बार फिर करवट लेती नजर आ रही है और इस बार केंद्र में हैं Mukul Sangma, जिनके एक संभावित फेसले से Meghalaya की पूरी सियासत को दिशा बदल सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से एक बार फिर संगमा से संपर्क साधने की पहल की है, उसने यह संकेत दे दिया है कि आने वाले समय में राज्य में बड़ा राजनीतिक उलटफेर संभव है। यह मामला केवल एक नेता के दल बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी प्रभाव राज्य के राजनीतिक संतुलन पर पड़ सकते हैं।



समय मांगा है, जो इस पूरे घटनाक्रम को और भी दिलचस्प बना देता है। मुकुल संगमा का राजनीतिक सफर मेघालय की राजनीति का एक अहम हिस्सा रहा है। वे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और लंबे समय तक कांग्रेस के मजबूत स्तंभ माने जाते रहे। साल 2021 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर All India Trinamool Congress का दामन थामा था, जिससे राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव आया था। उस समय उनके इस कदम ने न केवल कांग्रेस को झटका दिया, बल्कि टीएमसी को भी मेघालय में एक मजबूत आधार प्रदान किया। अब यदि वे एक बार फिर पार्टी बदलते हैं, तो यह उनके राजनीतिक जीवन का एक और बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। वर्तमान में संगमा विपक्ष के नेता के तौर

पर सक्रिय हैं और राज्य की राजनीति में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में भाजपा का उन्हें अपने साथ जोड़ने का प्रयास यह दर्शाता है कि पार्टी पूर्वोत्तर में अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए कितनी गंभीर है। पिछले कुछ वर्षों में भाजपा ने इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाई है और अब वह इसे और विस्तार देने की दिशा में काम कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प पहलू सामने आया है। A. L. Hek ने यह भी दावा किया है कि केवल मुकुल संगमा ही नहीं, बल्कि राज्य के कई अन्य विधायक भी भाजपा के संपर्क में हैं। उनके अनुसार, कम से कम चार विधायक पार्टी के साथ बातचीत कर रहे हैं और वे 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इन विधायकों के नामों का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इस दावे ने सियासी गलियारों में हलचल और तेज कर दी है। यदि यह दावा सही साबित होता है, तो मेघालय में भाजपा को एक मजबूत राजनीतिक बल मिल

सकती है। अभी तक राज्य की राजनीति में क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस का प्रभाव अधिक रहा है, लेकिन भाजपा लगातार अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है। मुकुल संगमा जैसे बड़े और अनुभवी नेता का पार्टी में शामिल होना इस प्रयास को नई दिशा दे सकता है और पार्टी को एक मजबूत नेतृत्व प्रदान कर सकता है। दूसरी ओर, All India Trinamool Congress के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है। संगमा पार्टी के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक हैं और उनकी मौजूदगी ही मेघालय में टीएमसी की पहचान को मजबूत बनाती है। यदि वे पार्टी छोड़ते हैं, तो इसका सीधा असर टीएमसी की संगठनात्मक ताकत और राजनीतिक प्रभाव पर पड़ सकता है। इससे राज्य में विपक्ष की स्थिति भी कमजोर हो सकती है और राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संगमा फिलहाल जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने के मूढ़ नहीं हैं। वे मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों का आकलन कर रहे हैं और यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए कौन-सा विकल्प सबसे उपयुक्त रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट से राहत, लेकिन कानूनी लड़ाई जारी: अमित जोगी की सजा पर रोक से फिर गरमाया 2003 हत्याकांड

नई दिल्ली से एक महत्वपूर्ण न्यायिक घटनाक्रम सामने आया है, जिसने छत्तीसगढ़ की राजनीति और देश की न्यायिक प्रक्रिया को एक बार फिर सुखियों में ला खड़ा किया है। Supreme Court of India ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री Ajit Jogi के पुत्र Amit Jogi को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह राहत अंतरिम है, लेकिन इसका असर न केवल कानूनी बल्कि राजनीतिक हलकों में भी साफ देखा जा रहा है। यह मामला वर्ष 2003 के बहुचर्चित हत्या कांड से जुड़ा है, जिसमें Ramavatar Jaggi, जो Nationalist Congress Party के नेता थे, की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस समय राज्य की राजनीति में इस घटना ने भारी हलचल मचा दी थी, क्योंकि उस दौर में Ajit Jogi मुख्यमंत्री पद पर आसीन थे और उनके परिवार का नाम इस मामले से जुड़ गया था।



रुग्णार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई Justice Vikram Nath, Justice Sandeep Mehta और Justice Vijay Bishnoi की पीठ के समक्ष हुई। अमित जोगी की ओर से विरिष्ठ अधिवक्ता Vivek Tankha

यह पूरा घटनाक्रम उस फैसले के खिलाफ आया है, जिसमें Chhattisgarh High Court ने हाल ही में दायल कोर्ट के पुराने फैसले को पलटते हुए अमित जोगी को दोषी ठहराया था। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में उन्हें तीन सप्ताह के भीतर जेल में आत्मसमर्पण करने का निर्देश भी दिया था। इस फैसले ने राजनीतिक और कानूनी दोनों ही क्षेत्रों में हलचल पैदा कर दी थी। हालांकि, इससे पहले 31 मई 2007 को दायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में अमित जोगी को बरी कर दिया था, जबकि इसी मामले में अन्य 28 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस फैसले के खिलाफ Central Bureau of Investigation ने अपील दायर की थी, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने मामले की दोबारा सुनवाई शुरू की और अंततः बरी किए जाने के फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा पर रोक लगाने के

बाद यह साफ हो गया है कि मामला अभी अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा है और कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। यह अंतरिम राहत केवल अस्थायी है, जिसका मतलब यह नहीं है कि आरोप समाप्त हो गए हैं, बल्कि यह केवल अंतिम निर्णय आने तक की स्थिति को स्थिर रखने का कदम है। इस फैसले के बाद अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि उच्च न्यायालय का फैसला कायम रहेगा या उसमें कोई बदलाव किया जाएगा। साथ ही, Central Bureau of Investigation की भूमिका भी अहम होगी, क्योंकि अदालत ने उससे इस मामले में विस्तृत जवाब मांगा है। राजनीतिक दृष्टि से भी यह मामला काफी संवेदनशील है, क्योंकि यह एक ऐसे परिवार से जुड़ा है, जिसने छत्तीसगढ़ की राजनीति में लंबे समय तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे में इस केस का परिणाम केवल एक कानूनी फैसला नहीं होगा, बल्कि इसके दूरगामी राजनीतिक प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल, अमित जोगी को मिली इस राहत ने उन्हें तत्काल जेल जाने से बचा लिया है, लेकिन उनकी कानूनी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है।

ट्रंप का यू-टर्न: 'नरक का द्वार' से 'महान देश' तक, बयानबाजी ने खड़ी की कूटनीतिक हलचल

वाशिंगटन से उठे एक बयान ने कुछ ही घंटों में वैश्विक राजनीति का रुख बदल दिया और फिर उतनी ही तेजी से उसका पलटवार भी देखने को मिला। Donald Trump द्वारा भारत को लेकर की गई विवादित टिप्पणियों और उसके बाद अचानक बदले रुख ने न केवल अमेरिका-भारत संबंधों पर सवाल खड़े किए, बल्कि यह भी दिखाया कि आज के दौर में एक नेता के शब्द कितनी दूर तक असर डाल सकते हैं। यह पूरा घटनाक्रम महज एक बयानबाजी नहीं, बल्कि कूटनीतिक संवेदनशीलता, राजनीतिक रणनीति और वैश्विक दबाव के जटिल मेल का उदाहरण बनकर सामने आया है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब Donald Trump ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर एक वीडियो और उससे जुड़ा पत्र साझा किया। यह सामग्री अमेरिकी रेंडियो होस्ट Michael Savage के पाँडकास्ट से संबंधित थी, जिसमें अमेरिका की जन्मसिद्ध नागरिकता नीति पर तीखा हमला किया गया था। इस पत्र में भारत, चीन और कुछ अन्य देशों को "नरक का द्वार" जैसे शब्दों से संबोधित किया गया, जिससे विवाद भड़क उठा। पत्र में यह भी आरोप लगाया गया कि इन देशों के लोग अमेरिका में केवल अपने बच्चों को जन्म देकर नागरिकता प्राप्त करने के उद्देश्य से आते हैं, जो कि एक संवेदनशील और विवादास्पद दावा है। इस बयान के सामने आते ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। भारत जैसे बड़े और प्रभावशाली देश के



लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल न केवल अपमानजनक माना गया, बल्कि इसे नस्लवादी दृष्टिकोण का भी उदाहरण बताया गया। भारत में राजनीतिक दलों, कूटनीतिक हलकों और आम जनता के बीच इस बयान को लेकर तीखी नाराजगी देखने को मिली। कई विशेषज्ञों ने इसे भारत-अमेरिका संबंधों के लिए नुकसानदायक बताया, जो पिछले कुछ वर्षों में रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी के आधार पर मजबूत हुए हैं। हालांकि, विवाद के बढ़ते ही Donald Trump ने तेजी से स्थिति को संभालने की कोशिश की और अपना रुख पूरी तरह बदल दिया। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता Christopher Elms के अनुसार, ट्रंप ने अब भारत को एक "महान देश" बताया और वहां के नेतृत्व को अपना "बहुत अच्छा दोस्त" कहा। यह बयान पहले दिए गए शब्दों से बिल्कुल विपरीत था, जिससे साफ जाहिर हुआ कि यह बदलाव दबाव में लिया गया एक रणनीतिक फैसला है। इस पूरे विवाद का केंद्र अमेरिका की जन्मसिद्ध नागरिकता नीति रही है, जिसका ट्रंप और उनके समर्थक लंबे

समय से विरोध करते आए हैं। इस नीति के तहत अमेरिका में जन्म लेने वाले किसी भी बच्चे को स्वतः नागरिकता मिल जाती है, चाहे उसके माता-पिता किसी भी देश के हों। ट्रंप का मानना है कि इस प्रावधान का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन कई कानूनी और सामाजिक विशेषज्ञ इस दावे को अतिरंजित मानते हैं और इसे आप्रवासन के मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश बताते हैं। विवादित पत्र में एक और मुद्दा उठाया गया, जिसमें कैलिफोर्निया के टेक सेक्टर में भारतीयों और चीनियों की भागीदारी को नकारात्मक रूप में पेश करने की कोशिश की गई। यह दावा भी बिना किसी ठोस प्रमाण के किया गया, जिससे आलोचना और तेज हो गई। विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय पेशेवरों की वैश्विक सफलता को इस तरह के बयान से जोड़ना न केवल गलत है, बल्कि यह उनकी मेहनत और योगदान को कमतर आंकने जैसा है। इस बयान का असर केवल भारत और अमेरिका तक सीमित नहीं था, बल्कि अन्य देशों ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। खासतौर पर Iran ने इस मुद्दे पर भारत का खुलकर समर्थन किया और ट्रंप के बयान को अपमानजनक बताया। यह समर्थन अपने आप में महत्वपूर्ण है,

क्योंकि यह दर्शाता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस बयान को स्वीकार नहीं किया गया। भारत सरकार ने भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई। हालांकि, आधिकारिक बयान संतुलित भाषा में दिया गया, लेकिन यह स्पष्ट था कि भारत इस तरह की टिप्पणियों को हल्के में नहीं लेता। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा, व्यापार और तकनीकी सहयोग जैसे कई अहम क्षेत्र हैं, और इस तरह के बयान इन संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि Donald Trump का यह यू-टर्न केवल एक व्यक्तिगत बयान का बदलाव नहीं, बल्कि एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। वैश्विक आलोचना, कूटनीतिक दबाव और भारत जैसे महत्वपूर्ण साझेदार के साथ संबंधों को बनाए रखने की जरूरत ने उन्हें अपने शब्दों को बदलने के लिए मजबूर किया। यह भी माना जा रहा है कि इस तरह के बयान कभी-कभी घरेलू राजनीति को ध्यान में रखकर दिए जाते हैं, लेकिन उनका अंतरराष्ट्रीय असर कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है। यह घटना एक महत्वपूर्ण सबक भी देती है कि आज के डिजिटल युग में कोई भी बयान सीमित दायरे में नहीं रहता। सोशल मीडिया के जरिए वह तुरंत वैश्विक मंच पर पहुंच जाता है और उसके प्रभाव को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में नेताओं के लिए यह और भी जरूरी हो जाता है कि वे अपने शब्दों का चयन सावधानी से करें।

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber

Jio tv +

Jio Fiber

Daily Hunt

ebaba Tv

Dish Plus

DTH live OTT

Rock TV

Airtel

Amezone Fire

Roku Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए आज ही नवसर्जन संस्कृति हिंदी चैनल देखिये

भारत की आर्थिक ताकत पर सूरत से बड़ा संदेश: इंडस्ट्री ही विकास की असली धुरी, वैश्विक मंच पर बड़ी देश की अहमियत

सूरत। वैश्विक आर्थिक अस्थिरता और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत की स्थिति को लेकर एक स्पष्ट और मजबूत संदेश सूरत से सामने आया, जहाँ Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण संवाद कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री Mansukh Mandaviya ने देश की आर्थिक दिशा और उद्योगों की भूमिका पर विस्तार से बात रखी। उन्होंने कहा कि आज भारत का बाजार केवल घरेलू स्तर तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक निर्णायक शक्ति बन चुका है, जिसके चलते कोई भी देश भारत के साथ अपने संबंधों को कमजोर करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता।

कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत की विकास यात्रा में उद्योगपतियों और व्यापारियों की भूमिका हमेशा केंद्रीय रही है। उन्होंने ऐतिहासिक

संदर्भ देते हुए कहा कि आजादी से पहले भी और उसके बाद भी देश की प्रगति में व्यापारिक वर्ग ने अहम योगदान दिया है। “जो लोग संपत्ति का निर्माण करते हैं, वे राष्ट्र निर्माण के सच्चे भागीदार हैं और उनका सम्मान होना चाहिए,” इस बात को दोहराते हुए उन्होंने उद्योग जगत को सरकार का सहयोगी बताया, न कि केवल एक आर्थिक इकाई। मंत्री ने देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालते हुए बताया कि भारत लगातार 7 से 8 प्रतिशत की दर से विकास कर रहा है, जो दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से अधिक है। उन्होंने कहा कि यह केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर हो रहे सुधारों और योजनाओं का परिणाम है। सरकार संतुलित विकास मॉडल पर काम कर रही है, जिसमें रोजगार सृजन, व्यापार विस्तार और आय वृद्धि तीनों को समान महत्व दिया जा रहा है।

कर प्रणाली में सुधार का जिम्मा करते

महिला आरक्षण पर टकराव तेज, सहमति की मांग के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर

शिमला। महिला आरक्षण के मुद्दे पर राजनीतिक बहस एक बार फिर तेज हो गई है, जहाँ एक ओर इसे लोकतांत्रिक सुधार का बड़ा कदम बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इस पर सियासी आरोप-प्रत्यारोप भी खुलकर सामने आ रहे हैं। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष डेजी ठाकुर ने स्पष्ट कहा है कि महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर राजनीति नहीं बल्कि व्यापक सहमति बननी चाहिए, ताकि देश की आधी आबादी को उनका वास्तविक राजनीतिक अधिकार, मिल सके। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि वर्तमान समय में महिलाओं की जनसंख्या लगभग 48 प्रतिशत होने के बावजूद संसद और विधानसभाओं में उनकी भागीदारी महज 14-15 प्रतिशत तक सीमित है, जो लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के लिहाज से एक

बड़ा असंतुलन दर्शाता है। डेजी ठाकुर ने सितंबर 2023 में पारित हुए नवी शक्ति वंदन अधिनियम का उल्लेख करते हुए कहा कि यह कानून भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। इस अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रारंभ किया गया है, जिसे लंबे समय से लंबित मांग के रूप में देखा जाता रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस, अंधविश्त गंभीरता नहीं दिखा पाई, जिससे महिलाओं के अधिकारों को लेकर भ्रम और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है।

भाजपा नेता ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी महिलाओं को केवल वोट



हुए उन्होंने बताया कि Goods and Services Tax लागू होने के बाद कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। दरों में कमी के बावजूद सरकार को हर महिने करीब 2 लाख करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो रहा है, जो अर्थव्यवस्था

की मजबूती का संकेत है। उन्होंने इसे पारदर्शिता और कर सुधारों की सफलता बताया है, जिसमें रोजगार सृजन, इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो रहे व्यापक निवेश को देश की प्रगति का इंजन बताते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार करीब 12

लाख करोड़ रुपये का निवेश कर रही है। इसके तहत देश में प्रतिदिन औसतन 31 किलोमीटर हाईवे और 15 किलोमीटर रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही, पिछले दस वर्षों में लगभग 100 नए एयरपोर्ट जोड़े गए हैं, जिससे

हिमाचल कांग्रेस में सियासी संग्राम: नियुक्तियों के विरोध में भूख हड़ताल, दिल्ली तक आंदोलन की चेतावनी

शिमला। हिमाचल प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर उठी असंतोष की, लहर अब खुली बगावत का रूप लेती दिख रही है। सिरमौर जिले के पांवटा साहिब ब्लॉक अध्यक्ष पद पर हाल ही में की गई नियुक्ति के खिलाफ पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदीप चौहान ने शिमला स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर 24 घंटे की भूख हड़ताल शुरू कर दी है। यह विरोध केवल एक पद की नियुक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रदेश कांग्रेस में लंबे समय से सुलग रहे क्षेत्रीय असंतुलन, गुटबाजी और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा जैसे गंभीर मुद्दों को सामने ला रहा है।

भूख हड़ताल पर बैठे प्रदीप चौहान ने आरोप लगाया कि हालिया संगठनात्मक फेरबदल में पारदर्शिता का पूरी तरह अभाव रहा है और फैसले एकतरफा तरीके

से लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सिरमौर जिले का गिरिपार क्षेत्र, जो जनसंख्या और राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। उनके मुताबिक, ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर पर जिन नेताओं को जिम्मेदारियों के सौंपी गई हैं, उनमें अधिकांश पांवटा साहिब क्षेत्र से आते हैं, जबकि गिरिपार क्षेत्र को प्रतिनिधित्व के नाम पर लगभग शून्य स्थान मिला है।

चौहान ने यह भी कहा कि संगठन में ऐसे लोगों को पद दिए जा रहे हैं जिनका अतीत दल-बदल से जुड़ा रहा है, जबकि वरिष्ठ पार्टी के लिए समर्थन देने वाले समर्पित और ईमानदार कार्यकर्ताओं को किनारे कर दिया गया है। उनका कहना है कि इस तरह की नियुक्तियों ने केवल संगठन की जड़ों को कमजोर करती है, बल्कि कार्यकर्ताओं के मनोबल को भी तोड़ती है। उन्होंने इसे

“कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय” बताते हुए कहा कि यदि यही स्थिति बनी रहती तो पार्टी की जमीनी पकड़ कमजोर हो सकती है।

भूख हड़ताल के दौरान चौहान ने प्रदेश नेतृत्व के सामने स्पष्ट मांग रखी है कि पांवटा साहिब ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति पर पुनर्विचार किया जाए और संगठन में क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि नियुक्तियों की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह के विवाद उभर न दें। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो वे अपने आंदोलन को और तेज करेंगे और दिल्ली जाकर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के सामने यह मुद्दा उठाएंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जरूरत की पड़ी तो वे दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय

के बाहर लॉ को लेकर जागरूकता बढ़ाने के सुझाव पर उन्होंने वर्कशॉप और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही। इस पूरे कार्यक्रम ने एक बात साफ कर दी कि सरकार और उद्योग के बीच संवाद जितना मजबूत होगा, देश की आर्थिक प्रगति उतनी ही तेज होगी। मंच पर मौजूद विभिन्न पदाधिकारियों और उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी इस संवाद को सकारात्मक और उपयोगी बताया। कुल मिलाकर, सूरत में आयोजित यह बैठक केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक दिशा और वैश्विक भूमिका पर एक गंभीर विमर्श के रूप में सामने आई। यहां से निकला संदेश साफ है कि उद्योग ही देश की तरक्की की रीढ़ हैं और यदि सरकार व उद्योग मिलकर आगे बढ़ें, तो भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था में और भी मजबूत स्थान हासिल कर सकता है।

यमदूत बना ट्रक: ड्रमंडगंज घाटी में भीषण हादसा, 11 की मौत, बोलेरो में जिंदा जले 8 लोग

मीरजापुर। उत्तर प्रदेश के मीरजापुर जिले की ड्रमंडगंज घाटी बुधवार की रात उस वकत चीखों, आग और तबाही का भयावह मंजर बन गई, जब एक बेकाबू ट्रक ने नेशनल हाईवे-135 पर मौत का ऐसा तांडव मचाया कि 11 जिंदगियां पलभर में खत्म हो गईं। रात करीब 8 बजे हुए इस भीषण हादसे में एक बोलेरो सवार 8 लोग जिंदा जल गए, जबकि एक कार चालक और ट्रक के ड्राइवर-खलासी की भी मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा सिर्फ एक सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि कई परिवारों के लिए ऐसा जखम बन गया है, जो जिंदगी भर नहीं भर पाएगा।

घटना के समय घाटी में सामान्य आवाजाही जारी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, मध्य प्रदेश से चना लादकर आ रहा एक भारी ट्रक जैसे ही ड्रमंडगंज घाटी के ढलान पर पहुंचा, उसका ब्रेक अचानक फेल हो गया। घाटी का तीखा ढलान और ट्रक की तेज रफ्तार इस हादसे की सबसे बड़ी वजह बन गए। चालक ने वाहन को नियंत्रित करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ट्रक पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। देखते

ही देखते वह सामने चल रहे वाहनों के लिए मौत बन गया। सबसे पहले ट्रक ने एक कंटेनर को जोरदार टक्कर मारी। इस टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के गांवों तक इसकी गूंज सुनाई दी। लेकिन हादसे की असली भयावहता इसके बाद सामने आई। कंटेनर से टकराने के बाद भी ट्रक की रफ्तार कम नहीं हुई और उसने आगे चल रही बोलेरो को पीछे से इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वह उछलकर डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर के साथ ही बोलेरो में आग लग गई और कुछ ही सेकंड में वह आग का गोला बन गई। बोलेरो में सवार लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वाहन के दरवाजे जाम हो गए थे और आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि कोई भी बाहर नहीं निकल सका। अंदर बैठे लोग मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कोई पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कुछ ही मिनटों में पूरा वाहन जलकर राख हो गया और उसमें सवार 8 लोग जिंदा जल गए। मृतकों में 2



महिलाएं और 2 मासूम बच्चे भी शामिल हैं, जिससे इस हादसे की त्रासदी और भी गहरी हो जाती है।

हादसे की चपेट में आई एक अन्य कार भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार चालक जय प्रकाश (28), जो सोनभद्र

का रहने वाला था, इस टक्कर में बुरी तरह घायल हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं, ट्रक चालक

और खलासी भी इस भीषण दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठे। इस तरह कुल मृतकों की संख्या 11 तक पहुंच गई। घटना के तुरंत बाद यातायात पूरी तरह ठप मौके पर चुटने लगे, लेकिन आग और धुएँ के कारण कोई भी करीब नहीं जा पा रहा था। कुछ लोगों ने पानी और रेत डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाफी साबित हुई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने करीब 60 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बहुत तरह हो चुकी थी। बोलेरो और कार पूरी तरह जल चुके थे और अंदर मौजूद लोगों के शव बुरी तरह झूलस चुके थे।

घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन भी तुरंत सक्रिय हुआ। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्यों की निगरानी की। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पहचान की प्रक्रिया शुरू की है। कई शव इतनी बुरी तरह जल चुके हैं कि उनकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है, जिसके लिए डीएनए

परीक्षण की भी जरूरत पड़ सकती है। इस हादसे के कारण वाराणसी-रीवा मार्ग पर लंबा जाम लग गया। करीब चार घंटे तक यातायात पूरी तरह ठप रहा। सैकड़ों वाहन सड़क पर फंसे रहे और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। देर रात क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर और सड़क साफ कर की, लेकिन यह नाकाफी साबित किया गया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दर्दनाक हादसे पर गहرا शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि घायलों का बेहतर इलाज सुनिश्चित किया जाए और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता दी जाए। साथ ही उन्होंने इस दुर्घटना के कारणों की गहन जांच के आदेश भी दिए हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि पहाड़ी और घाटी क्षेत्रों में इस तरह के हादसे अक्सर वाहन की तकनीकी खराबी और लापरवाही के कारण होते हैं। खासकर

ब्रेक सिस्टम की नियमित जांच न होना और ओवरलोडिंग जैसी समस्याएं ऐसे हादसों को जन्म देती हैं। ड्रमंडगंज घाटी चार घंटे तक यातायात पूरी तरह ठप रही है, जहां तेज ढलान और मोड़ दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बनते हैं। यह हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा के उन सवाल को सामने लाता है, जिन पर अक्सर हादसे के बाद ही चर्चा होती है। क्या ट्रकों की फिटनेस की सही जांच हो रही है? क्या घाटी क्षेत्रों में गति नियंत्रण के नियमों का पालन किया जा रहा है? क्या ड्राइवरों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है? ये सभी सवाल इस त्रासदी के बाद और भी अहम हो जाते हैं।

ड्रमंडगंज की यह रात अब सिर्फ दुर्घटना की कहानी नहीं रह गई है, बल्कि यह उन परिवारों के लिए एक ऐसा दर्द बन चुकी है, जिन्होंने अपने अपनों को इस हादसे में खो दिया। जलती हुई बोलेरो में फंसे लोगों की चीखें और सड़क पर परसरा सन्नाटा इस बात की गवाही दे रहे थे कि एक छोटी सी लापरवाही कैसे कई जिंदगियों को खत्म कर सकती है।

जमीन पर कब्जा नहीं चलेगा: यूपी में भूमि विवाद निपटाने के लिए विशेष टीमें, सीएम योगी के सख्त निर्देश

गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से लंबित पड़े भूमि विवादों और अवैध कब्जों की बढ़ती शिकायतों के बीच राज्य सरकार ने अब सख्त रुख अपनाते हुए एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जमीन से जुड़े विवादों के निस्तारण में अब किसी भी तरह की हिलवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसके लिए जिला स्तर पर विशेष टीमों का गठन कर प्राथमिकता के आधार पर मामलों का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने करीब 200 फरियादियों की शिकायतें सुनीं। इनमें सबसे अधिक मामलों भूमि विवाद, अवैध कब्जे, पुलिस कार्रवाई में देरी और चिकित्सा सहायता से जुड़े थे। हर एक मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से किया जाए, अ

को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को जमीन पर अवैध कब्जा किसी भी स्तर में स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जहां भी ऐसी शिकायतें मिलें, वहां तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच की जाए और कब्जा हटाने की कार्रवाई बिना देरी के की जाए। साथ ही, इस तरह के मामलों में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में ऐसे मामलों पर रोक लग सके। उन्होंने यह भी कहा कि भूमि विवाद केवल राजस्व विभाग का मामला नहीं है, बल्कि इसमें पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्व और पुलिस विभाग मिलकर संयुक्त टीम बनाएं, जो न केवल विवादों की पहचान करे बल्कि उनका स्वतंत्रान कर त्वरित समाधान भी सुनिश्चित करे। यह मॉडल खासतौर पर उन जिलों में लागू किया जाएगा, जहां भूमि विवादों की संख्या अधिक है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि प्रत्येक जिले में समर्पित

विशेष टीमें बनाई जाएं, जो केवल भूमि विवादों के निस्तारण पर ध्यान दें। इन टीमों को स्पष्ट जिम्मेदारी दी जाएगी कि प्राथमिकता के आधार पर मामलों का निस्तारण करे और पीड़ितों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाए। इस व्यवस्था से न केवल विवादों का तेजी से निपटारा होगा, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही भी तय हो सकेगी।

जनाता दर्शन कार्यक्रम में आए लोगों ने भी मुख्यमंत्री के इस फैसले का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि अब उनकी समस्याओं का समाधान जल्द होगा। कई फरियादियों ने अपनी जमीन पर कब्जे और विवादों की शिकायत रखी, जिन पर मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम केवल प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि एक स्पष्ट संदेश है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और जमीन से जुड़े मामलों में न्याय सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि बार ये विवाद छोटे झगड़ों से शुरू होकर गंभीर आपराधिक घटनाओं का रूप ले लेते हैं। ऐसे में सरकार का यह कदम कानून-

व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस ‘विशेष टीम मॉडल’ को प्रभावी ढंग से लागू किया गया, तो इससे न केवल विवादों का तेजी से समाधान होगा, बल्कि आम जनता का प्रशासन पर विश्वास भी बढ़ेगा।

जनाता दर्शन कार्यक्रम में आए लोगों ने भी मुख्यमंत्री के इस फैसले का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि अब उनकी समस्याओं का समाधान जल्द होगा। कई फरियादियों ने अपनी जमीन पर कब्जे और विवादों की शिकायत रखी, जिन पर मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम केवल प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि एक स्पष्ट संदेश है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और जमीन से जुड़े मामलों में न्याय सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि बार ये विवाद छोटे झगड़ों से शुरू होकर गंभीर आपराधिक घटनाओं का रूप ले लेते हैं। ऐसे में सरकार का यह कदम कानून-

डिजिटल दौर में ‘मूल हिन्दी’ पर संकट: सरकारी वेबसाइटों से हटे असली स्वरूप पर उठा बड़ा विवाद

लखनऊ। देश में तेजी से बढ़ती डिजिटल गवर्नेंस के बीच अब भाषा को लेकर एक नया और गंभीर विवाद खड़ा हो गया है। सरकारी वेबसाइटों पर हिन्दी के मूल स्वरूप के गायब होने और उसकी जगह मशीनी अनुवाद और सिस्टम लागू किए जाने के आरोपों ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया है। यह मामला तब और तूल पकड़ गया जब मुंबई निवासी प्रवीण कुमार जैन ने इस संबंध में एक विस्तृत शिकायत पत्र सीधे केंद्र सरकार और संसदीय राजभाषा समिति को भेजकर इसे न केवल भाषाई बल्कि संवैधानिक मुद्दा करार दिया। मुंबई के बोरीवली पूर्व क्षेत्र में रहने वाले प्रवीण जैन द्वारा भेजे गए इस पत्र में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार की अधिकांश आधिकारिक वेबसाइटों पर अब अंग्रेजी ही प्रथमिक और मूल भाषा के रूप में बनी हुई है, जबकि हिन्दी को केवल एक अनुवादित विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। आरोप है कि ‘भाषिणी’ और ‘अनुवादिनी’ जैसे मशीनी अनुवाद टूल्स के जरिए हिन्दी सामग्री दिखाई जा रही है, जिससे न केवल भाषा की संवैधानिक स्थिति भी कमजोर हो रही है। यह

मामला सीधे संविधान से जुड़ता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिन्दी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। ऐसे में यह सवाल उठता गया है कि जब हिन्दी राजभाषा है, तो उसे मूल भाषा के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, न कि किसी तकनीकी अनुवाद का परिणाम बनकर। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि 2 जुलाई 2008 को जारी राष्ट्रपति के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि सभी सरकारी वेबसाइटों को द्विभाषी (हिन्दी और अंग्रेजी) रूप में बनाए रखना अनिवार्य होगा। मौजूदा स्थिति को इस आदेश के उल्लंघन के रूप में देखा जा रहा है।

प्रवीण जैन ने अपने पत्र में यह भी तर्क दिया है कि मशीनी अनुवाद टूल्स जैसे ‘भाषिणी’ और ‘अनुवादिनी’ का उद्देश्य अन्य भारतीय भाषाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना हो सकता है, लेकिन हिन्दी जैसी राजभाषा के लिए इनका उपयोग प्रतिस्पर्धा के रूप में करना न केवल अनुचित है बल्कि यह भाषा के स्तर को भी गिराता है। उन्होंने कहा कि इन टूल्स द्वारा किया गया अनुवाद अक्सर संदर्भहीन, त्रुटिपूर्ण और समझ से परे होता है, जिससे आम नागरिकों के लिए सरकारी जानकारी को

समझना मुश्किल हो जाता है। इस विवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू तकनीकी असमानता और भाषाई भेदभाव से भी जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ‘भाषिणी’ प्लेटफॉर्म का इंटरफेस मुख्यतः अंग्रेजी में है, और कई जगहों पर देवनागरी में नाम लिखने तक की सुविधा सीमित है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, ईमेल संचार और अन्य तकनीकी पहलुओं में अंग्रेजी का वर्चस्व बना हुआ है, जिससे हिन्दी भाषी जगहों पर देवनागरी में नाम लिखने तक की सुविधा सीमित है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, ईमेल संचार और अन्य तकनीकी पहलुओं में अंग्रेजी का वर्चस्व बना हुआ है, जिससे हिन्दी भाषी जगहों पर देवनागरी में नाम लिखने तक की सुविधा सीमित है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, ईमेल संचार और अन्य तकनीकी पहलुओं में अंग्रेजी का वर्चस्व बना हुआ है, जिससे हिन्दी भाषी जगहों पर देवनागरी में नाम लिखने तक की सुविधा सीमित है।

इसके अलावा, उन्होंने यह भी मांग की है कि रजभाषा नीति के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए और इस दिशा में सख्त कदम उठाए जाएं। उनका खर्च किए जाते हैं, लेकिन वास्तविकता यह नहीं दिया गया, तो हिन्दी की स्थिति धीरे-धीरे और कमजोर हो सकती है, जिससे संविधान की भावना को ठेस पहुंचेगी। यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब भारत डिजिटल इंडिया की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और सरकारी सेवाएं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो रही हैं।

अलग है। प्रवीण जैन ने इस मुद्दे को केवल शिकायत तक सीमित नहीं रखा, बल्कि सरकार के सामने स्पष्ट मांगें भी रखी हैं। उन्होंने कहा है कि सभी सरकारी वेबसाइटों पर हिन्दी के मूल संस्करण को तत्काल बहाल किया जाए जगहों पर देवनागरी में नाम लिखने तक की सुविधा सीमित है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, ईमेल संचार और अन्य तकनीकी पहलुओं में अंग्रेजी का वर्चस्व बना हुआ है, जिससे हिन्दी भाषी जगहों पर देवनागरी में नाम लिखने तक की सुविधा सीमित है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, ईमेल संचार और अन्य तकनीकी पहलुओं में अंग्रेजी का वर्चस्व बना हुआ है, जिससे हिन्दी भाषी जगहों पर देवनागरी में नाम लिखने तक की सुविधा सीमित है।

इसके अलावा, उन्होंने यह भी मांग की है कि रजभाषा नीति के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए और इस दिशा में सख्त कदम उठाए जाएं। उनका खर्च किए जाते हैं, लेकिन वास्तविकता यह नहीं दिया गया, तो हिन्दी की स्थिति धीरे-धीरे और कमजोर हो सकती है, जिससे संविधान की भावना को ठेस पहुंचेगी। यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब भारत डिजिटल इंडिया की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और सरकारी सेवाएं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो रही हैं।